सुदृढ़ प्रजातंत्र हेतु वृहत्तर सहभागिता

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं० 05/2017-18 17-18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
	आवेदक श्री/श्रीमती सकलदेव हेम्ब्रम पिता/पति स्व० रामाशंकर हेम्ब्रम ग्राम मालियाबुदर पोस्ट चक्रधरपुर थाना चक्रधरपुर जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिया है कि अपनी राशि के आवश्यकता के लिए अपने खतियानी जमीन मौजा जोगीवड़ा थाना नं० 77 खाता नं० 65 प्लॉट नं० 193 रकवा 0.08-000 एकड़ क्रेता श्री/श्रीमती पोन्डे राम गागराई पिता/~~पति~~ स्व० चरण गागराई ग्राम हाटुर पोस्ट चक्रधरपुर थाना चक्रधरपुर जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तहार किया गया। अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।	
	जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जाने वाली जमीन आवेदक/आवेदिका सकलदेव हेम्ब्रम पिता स्व० रामाशंकर हेम्ब्रम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास मो० 8 लाख रूपये में बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में रामचन्द्र हो पिता कानु हो इत्यादि के नाम से दर्ज है। विक्रेता से उनका संबंध दादा-पोता का है। जमाबन्दी पंजी ।। में खाता रैयत रामचन्द्र हो पिता कानु हो इत्यादि के नाम लगान कायम है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी को आपत्ति नहीं है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।	
	✓ धारा 46(i) प्रोभिजो "ए" के अनुसार आवेदक बिक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना चक्रधरपुर के निवासी है तथा हो (अनु० ज० जाति) समुदाय के सदस्य है।	
	46(i)प्रोभिजो "बी" के अनुसार बिक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला क्रमशः — एवं — अंचल के निवासी है तथा — समुदाय के सदस्य है।	
	आवेदक उक्त वर्णित कारणों से जमीन को बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि को बिक्री के बाद जीविकोपार्जन हेतु ग्राम जोगीवड़ा खाता/अन्य खाता 65 प्लॉट संख्या .... में रकवा 1.33.000 ए० अवशेष के रूप में बचती है। अचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक 326(B)	

सभी मतदाताओं से आग्रह है कि www.nvsp.in पर अपने नाम के साथ अपना आधार सख्या दर्ज करे तथा निर्वाचक नामावली (Electoral Roll) मे अपने नाम की जाच कर ले। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के धारा 31 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली (Electoral Roll) मे मिथ्या घोषणा यथा Duplication दडनीय अपराध है।

दिनांक 19.05.17 के द्वारा उक्त भूमि का बिक्री हेतु अनुशंसा किया गया है। अंचल अधिकारी चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तहार प्रतिवेदन पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री/श्रीमती पोन्डे राम गागराई पिता/पति स्व० चरण गागराई ग्राम हाटुर पोस्ट चक्रधरपुर थाना चक्रधरपुर जिला– प० सिंहभूम के पास में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i)प्रोभिजो "ए" / ~~"बी"~~ के अन्तर्गत बिक्री द्वारा जमीन हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

लेखापित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

8.5.17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

8.5.17

Digitally signed by KUSHALMY KINETH MUNDU
Date: 2025.03.26 14:45:58 +05:30
Location: 10.93.69.133

सभी मतदाताओं से आग्रह है कि www.nvsp.in पर अपने नाम के साथ अपना आधार संख्या दर्ज करें तथा निर्वाचक नामावली (Electoral Roll) में अपने नाम की जांच कर लें। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के धारा 31 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली (Electoral Roll) में मिथ्या घोषणा यथा Duplication दंडनीय अपराध है।